Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.

Land Dispute Appeal No.- 39 /2024

Haidar Ali & Ors. .....Appellant

Versus

Kurban Ali & Anr. .....Respondents.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	05.12.2024	**आदेश** प्रस्तुत अपील न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बारसोई, कटिहार द्वारा भूमि विवाद निराकरण वाद सं0–138/2022–23 मे दिनांक–02.01.2024 को पारित आदे" ा के विरूद्ध दायर किया गया है। विलंब क्षांत हेतु पृथक आवेदन दाखिल है। उभय पक्ष उपस्थित। सुना। अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि सी0एस0 खाता–104, सी0एस0 खेसरा–619, 620, रकवा–17 कटठा (61 डी0) भूमि अपीलार्थी के पिता–अब्दुल गणी एवं चाचा शेख उर्फ रहीम बक्स दोनो पिता–स्व0 इसाब अली ने केवाला संख्या–3880 दिनांक–03.03.1956 से जमीन मालिक मकबुल हुसैन, पिता–करामत हुसैन से क्रय की थी, जिसे आपस में बांट कर अपने जीवन काल तक जोत आबाद करते आ रहे थे तथा मृत्यु के बाद उनके वारिसान दखलकार होकर जोत आबाद कर रहे हैं। सर्वे अधिकारी के गलती के कारण विक्रेता मकबूल हुसैन का ही नाम खतियान में चढ़ गया, जिसके उपरांत अपीलार्थी के पिता एवं चाचा द्वारा विक्रेता मकबुल हुसैन के वारिसान अब्दुल हाफीज एवं नूर मोहम्मद को सुधारनामा केवाला को कहा गया, तो वे तैयार हो गये। अपीलार्थी के चाचा द्वारा बेईमानी की नीयत से विक्रेता के वारिसान से खतियान सुधार के नाम पर प्रश्नगत भूमि केवाला संख्या–1779/1982 से अपने नाम बिक्रीनामा करवा लिया गया। अपीलार्थी के चाचा के द्वारा चालाकी/बेईमानी करने के क्रम में गलती से उक्त केवाला पर आर0एस0 खाता–292 के स्थान पर आर0एस0 खाता–298 दर्ज हो गया, जिससे स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी के चाचा द्वारा जालसाजी से उक्त केवाला बनाया गया है। अपीलार्थीगण द्वारा प्रश्नगत जमीन पर वर्तमान में दखल एवं जोत आबाद किया जा रहा है। इनका आगे कथन है कि अपीलार्थी के चाचा शेख रहीम बक्स के वारिसान ने उक्त भूमि को विपक्षीगण के पास बेच दिया तथा भूमि के विवरण को आर0एस0 खाता–292, आर0एस0 खेसरा–395, रकवा–61 डी0 दर्ज किया गया है, जबकि अपीलार्थी के चाचा को प्राप्त केवाला में आर0एस0 खाता–298 दर्ज है। निम्न न्यायालय द्वारा उत्तरवादीगण के क्रमशः	

Web copy. Not official.

	<u>लगातार</u> 05.12.2024	साक्ष्यों को विश्वास कर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों को नजरअंदाज किया गया। निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश तथ्यों से परे एवं विधि विरूद्ध है। उक्त तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत अपीलवाद को स्वीकृत करते हुए निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त करने की प्रार्थना की गई है। दूसरी ओर उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रस्तुत अपीलवाद तथ्यों एवं नियमों के आधार पर पोषणीय नहीं है। वास्तविकता यह है कि मौजा–बलतर, थाना सं0–130, आर0एस0 खाता संख्या–292, खेसरा–395, रकवा–61 डी0 भूमि आर0एस0 खतियान में मकबूल हुसैन के नाम से दर्ज थी। मकबुल हुसैन अपने पीछे दो बेटे अब्दुल हाफिज एवं नूर मोहम्मद को छोड़कर स्वर्गवासी हो गये। खतियानी रैयत के उक्त पूर्वजों द्वारा केवाला संख्या–1979 दिनांक–03.02.1982 द्वारा प्रश्नगत जमीन शेख रहीम बख्स को विक्रय कर दी गई। शेख रहीम बख्स द्वारा दखलकार रहते हुए उक्त भूमि का नामांतरण के उपरांत सरकार को लगान अदा किया जाने लगा। शेख रहीम बख्स अपने पीछे 01 पुत्र शमीरूद्दीन एवं 04 पुत्रियाँ क्रमशः 1. बीबी चेली खातुन, 2. बीबी पोबदी खातुन, 3. मसोमात कालों खातुन एवं 4. मोसो खातुन को छोड़कर स्वर्गवासी हो गये। बाद में मोसो खातुन की भी मृत्यु हो गयी और वह अपने पीछे एक बेटे कुर्बान अली और तीन बेटियों क्रमशः बेगम खातुन, 2. नोरेफा खातुन एवं 3. शाबो खातुन को छोड़ गई। उनके द्वारा संयुक्त रूप से केवाला सं0–16384, दिनांक–31.12.2020 के माध्यम से प्रश्नगत जमीन उत्तरवादीगण मो0 कुर्बान अली, पिता–स्व0 मो0 हदीसा एवं बेगम खातुन, पिता–स्व0 मो0 हदीसा, पति–मो0 अबोया को बिक्री कर दी गई। मो0 कुर्बान अली एवं बेगम खातुन द्वारा दखल के उपरांत भूमि का नामांतरण कराकर सरकार को लगान भी अदा किया गया। कुछ समय पश्चात मौखिक समझौतानुसार बेगम खातुन द्वारा 30½ डी0 भूमि उत्तरवादी संख्या–02 (आबेदा खातुन) को केवाला संख्या–9814, दिनांक–02.07.2019 से 16½ डी0 एवं केवाला संख्या–20461, दिनांक–01.11.22 से 14 डी0 विक्रय कर दिया गया, जिसके उपरांत उत्तरवादी संख्या–02 (आबेदा खातून) कुल 30½ डी0 भूमि पर शांतिपूर्ण दखलकार है। इनका आगे कथन है कि अपीलार्थीगण द्वारा षडयंत्र रचकर बिना किसी हक एवं स्वत्व के प्रश्नगत जमीन पर दावा किया जा रहा है तथा उत्तरवादीगण को बल पूर्वक बेदखल करने का प्रयास किया जा रहा है। इस संबंध में ग्राम पंचायत द्वारा सरपंच के समक्ष पंचायती भी की गई, किन्तु अपीलार्थीगण उसको मानने से इन्कार कर रहे हैं। उत्तरवादीगण द्वारा प्रश्नगत जमीन पर फसल लगाया गया है लेकिन उसे काटने पर अपीलार्थीगण द्वारा रोक लगाया जा रहा है। उक्त से बिक्षुब्ध होकर उत्तरवादीगण द्वारा निम्न न्यायालय मे वाद दायर किया गया, जिसमें निम्न न्यायालय द्वारा उभय पक्षों को सुनकर एवं दस्तावेजों के समीक्षा के उपरांत अंचल अधिकारी को प्रश्नगत जमीन का दखल उत्तरवादीगण को दिलाने एवं भूमि का सीमांकन का आदेश निर्गत किया गया। निम्न	

Web copy, Not official.

	<u>लगातार</u> 05.12.2024	क्रमशः न्यायालय द्वारा तार्किक एवं उचित आदेश पारित किया गया है। अपीलार्थी द्वारा न्यायालय को दिग्भ्रमित करने हेतु गलत एवं झूठे तथ्यों को प्रस्तुत किया गया है। उक्त के आलोक में प्रस्तुत अपीलवाद को अस्वीकृत करने की प्रार्थना की गई है। उभय पक्षों को सुनने, अभिलेख में संलग्न दस्तावेजों के अवलोकनोपरांत यह स्पश्ट होता है कि अपीलार्थीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि पर दावा उनके पूर्वज द्वारा सी0एस0 खाता खेसरा के आधार पर भू–मालिक द्वारा निष्पादित केवाला–3880, दिनांक–03.03.1956 के आधार पर किया जा रहा है, जबकि उत्तरवादीगण द्वारा प्रश्नगत भूमि पर दावा उसी भू–मालिक के उत्तराधिकारियों द्वारा किये गये दर केवाला के आधार पर किया जा रहा है, जिससे प्रस्तुत अपीलवाद में केवाल की वैधता एवं दखल के कारण स्वत्व का संशलिष्ट प्रश्न (Complex question of title) सन्निहित है। उक्त का निराकरण केवल व्यवहार न्यायालय से ही संभव है। इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदे" ा की प्रति के साथ निम्न न्यायालय मूल अभिलेख वापस भेजें। लेखापित एवं शुद्धित। आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया। आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।	

Web copy. Not official.